प्रेस नोट दिनांक 02.09.223

(1). फर्जी ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की ठगी करने की घटना का सफल अनावरण

06 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 कार व 02 बाइक बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली कर्वी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह पर्दाफास करते हुये 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के कब्जे से 02 कार, 02 चोरी की बाइक, 08 अदद मोबाइल फोन एवं फर्जी कागजात बरामद किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.07.2023 को थाना कोतवाली कर्वी में वादी श्रीमती सुशील देवी पत्नी गिरधारीलाल निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अपने साथियो के साथ सूचना दी गयी कि हार्वड जागरुकता एजुकेशन ट्रस्ट के कर्मचारियों विनय कुमार वर्मा पुत्र जयराम वर्मा निवासी चमरपुर थाना भदोजोज जनपद बलरामपुर झांसा देकर करोड़ों रुपये गवन करके भाग गये हैं। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 426/2023 धारा 406 भादवि बनाम विनय कुमार आदि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये विवेचना अपराध शाखा के निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी को सुपुर्द कर त्वरित अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। विवेचक श्री एम.पी. त्रिपाठी व स्वाट टीम द्वारा कड़ी मेहनत व सर्विलांस टीम की मदद से मुखबिर की सूचना पर बांदा की तरफ से सिंहपुर होकर पहाड़ी राजापुर की ओर जाने की सटीक सूचना पर आज दिनाँक 02.09.2023 को चौरा मोड पहाड़ी से 06 अभियुक्तों को स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नम्बर UP 53 EC 7336 व वेगनार कार रजि0 नम्बर UP 53 EA 3289 व फर्जी दस्तावेज आदि अन्य सामान सहित गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशादेही पर रेलवे स्टेशन चित्रकूट से 02 अदद चोरी की बाइक रजि नं0 UP 96 N 5249 व UP 96 J 5145 बरामद की गयी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारा मुखिया प्रमोद गुप्ता पुत्र मोहन उर्फ नाहर गुप्ता निवासी मोइला हरपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर है जो हार्वड जागरुकता एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से जनपद चित्रकूट मे 02 शाखाऐं- 1. अमानपुर 2. कस्बा मऊ में खोलकर हम लोगों को नवम्बर 2022 में काम करने भेजा तथा 10 जुलाई तक हम लोगों ने विभिन्न पदों पर नौकरी देने जैसे होम ट्यूटर (एसटी), फील्ड क्वार्डीनेटर(एफसीओ), कम्प्यूटर टीचर(सीटी) तथा ग्रीन प्लांट मैनेजर आदि बनाकर कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच देकर हजारों लोगों को जोड़ कर सिक्योरिटी मनी व रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि के नाम पर लगभग 05 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र कर ली तथा 10 जुलाई को हम लोग अमानपुर वाले सेंटर के पास से 02 मोटरसाइकिलें चुराकर भाग गये थे। हम लोगों की सभी फर्जी आईडी तथा फर्जी नाम फर्जी सिम तथा नये मोबाइल फोन हमारे मुखिया प्रमोद गुप्ता ने दिये थे जिनका उपयोग हमने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में उपयोग किया था। रुपये पैसों का संकलन क्षेत्रीय लोगों जिन्हें हम लोगों ने नौकरी दिया था उन्हीं के बैंक खाते में कराते थे तथा नकद पैसै निकलवा कर हमलोग ले लेते थे तथा बीच-बीच में हमारे मुखिया प्रमोद गुप्ता व उनके साथी आकर ले जाते थे। हम लोगों के अलग-अलग बैंक खातों में अभी 10 लाख रुपये मौजूद हैं तथा बाकी सारे रुपये प्रमोद गुप्ता ले जाकर गोरखपुर में जमीने खरीद कर प्लाटिंग कर रहा है तथा नया मकान बनवा रहा है। हम सभी लोगों को एक-एक प्लाट भी देने को बोला था।

विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 419,420,467,468,471, 379, 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है तथा प्रकाश में आये मुख्य अभियुक्त प्रमोद गुप्ता व उसके 02 अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार जनपद मऊ के थाना क्षेत्र मधुवन में माउण्ड ऐजुकेशनल सर्विस नामक संस्था बनाकर इन्ही अभियुक्तों द्वारा लोगों के साथ विभिन्न पदों पर नौकरियों एवं कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लोगों को जोड़कर करोड़ों रुपये की ठगी की है। जिसके सम्बन्ध में जनपद मऊ के थाना मधुवन में मु0अ0सं0 263/2021 धारा 419,420,406,467,468,471 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामः-

1. अमन जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल निवासी टोला कतरौन कुसमहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर (फर्जी नाम विनय वर्मा)
2. राज गुप्ता पुत्र जगदम्बा प्रसाद गुप्ता निवासी भटवा तिवारी थाना खामपार जनपद देवरिया
3. प्रेमचन्द्र जायसवाल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी टोला कतरौन कुसमहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

4. मनोज कुमार जायसवाल पुत्र हरीशचन्द्र निवासी राप्तीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. उपेन्द्रनाथ पाण्डेय पुत्र रामदास निवासी सहुला खुर्द थाना खजनी जनपद गोरखपुर (फर्जी नाम वी.के. सिंह)
6. गिरजेश गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी देउरवा थाना कप्तानगंज कुशीनगर

बरामदगीः-

1. एक स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नम्बर UP 53 EC 7336
2. एक वेगनार कार रजि0 नम्बर UP 53 EA 3289
3. फर्जी दस्तावेज आदि अन्य सामान
4. चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 96 N 5249 व UP 96 J 5145

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी अपराध शाखा
2. निरीक्षक श्री श्याम प्रताप पटेल प्रभारी स्वाट टीम
3. उ0नि0 श्री पवन प्रधान थाना कोतवाली कर्वी
4. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम
5. मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार द्विवेदी स्वाट टीम
6. मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम
7. आरक्षी रोहित सिंह सर्विलांस टीम
8. आरक्षी रोशन सिंह स्वाट टीम
9. आरक्षी राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम
10. आरक्षी आशीष कुमार सर्विलांस टीम
11. आरक्षी पवन राजपूत स्वाट टीम
12. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा स्वाट टीम
13. मुख्य आरक्षी शिवकरन थाना कोतवाली
14. मुख्य आरक्षी संदीप देव थाना कोतवाली कर्वी
15. आरक्षी शुभम शर्मा थाना कोतवाली कर्वी
16. आरक्षी अमिक कुमार थाना कोतवाली कर्वी

(2). लूट की घटना का सफल अनावरण

02 अभियुक्त गिरफ्तार व लूटी गयी कार,नकदी, जीपीएस सिस्टम बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुये लूटी गयी मारुती स्विफ्ट डिजायर कार, 5000 रुपये नगद व क्षति ग्रस्त जीपीआरएस सिस्टम, 02 अदद वाहन नम्बर प्लेट TS 24 TA 0322 बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.08.2023 की रात्रि में बांधी के पास एक अज्ञात व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला जिसे थाना रैपुरा पुलिस द्वारा सीएचसी रामनगर में भर्ती कराया गया एवं उसका इलाज कराया गया। उक्त व्यक्ति को होश आने के पश्चात उसने अपना नाम मोहम्मद समीरुद्दीन पुत्र गौशुद्दीन निवासी मंडी बाजार मिजामपुरा जिला वारंगल तेलंगाना बताया तथा उसने यह भी बताया गया कि उसकी स्विफ्ट डिजायर कार ग्रे कलर रजि0 नं0 TS24 TA 0322 को एक व्यक्ति ने राजू नाम बता कर झांसी के लिये 35000/- रुपये में बुक किया जिसे मैने सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना से बैठाया तथा दुसरे को उप्पल से बैठाया तथा झांसी के लिये चल दिये। जबलपुर तक आने के बाद उन्होंने मुझे बीयर पिला दी एवं गाड़ी उनमें से एक दूसरा व्यक्ति चलाने लगा। रास्ते में मुझे इन लोगों ने चाय पकौडी एवं कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया जिसके बाद मुझे कुछ बता नहीं मैने अपने आप को सीएसी रामनगर में पाया। वादी की सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 97/2023 धारा 392/328 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीतृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष रैपुरा को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। वादी द्वारा बताया गया कि उसकी कार जे.पी. मोर्गन आई.टी. कम्पनी हैदराबाद से अटैच है जिसकी जीपीएस लोकेशन वहीं से ट्रेस की जा सकती है। थाना रैपुरा पुलिस द्वारा जे.पी. मोर्गन आई.टी. कम्पनी से सम्पर्क करके गाड़ी की लोकेशन प्राप्त की गयी। दिनाँक 01.09.2023 को थाना रैपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ नंगू गोस्वामी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी जोरिया मजरा

जगतापुर थाना कटरा जिला गोण्डा एवं अभियुक्त आदर्श तिवारी उर्फ वेजम पुत्र रामअचल तिवारी निवासी दिनउ का पुरवा मजरा पारस पट्टी थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त आदर्श तिवारी उपरोक्त के ट्यूब बेल से ही लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गयी जिसमें फर्जी नम्बर प्लेट UP 42 BJ 1088(कूट रचित नम्बर प्लेट) लगा रखी थी तथा कार में गाड़ी की असली 02 अदद नम्बर प्लेट TS 24 TA 0322 बरामद हुयी तथा 03 अदद मोबाइल फोन (अभियुक्तों के) बरामद किये गये। अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ नंगू गोस्वामी उपरोक्त के कब्जे से लूटे गये 5000/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि हम लोग दूर-दराज से गाडियों को बुक करके रास्ते में ड्राइवर के साथ जहरखुरानी करके गाडियों को लूट कर उन्हे बेंच देते हैं एवं जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट लेतें हैं। अभियुक्त अजीत उर्फ नंगू द्वारा बताया गया कि मैने एवं मेरे दूसरे साथी रामकरन पुत्र बिहारी भोला पत्थरकट निवासी रामचरन का पुरवा मजरा पुरे तेंदुआ थाना धानेपुर जिला गोण्डा के साथ यह गाड़ी बुक की थी एवं ड्राइबर को रास्ते में जहरखुरानी करके उसकी जेब में रखे 14000/- रुपये, मोबाइल व कार लूट कर ले आये थे, लूटे गये रुपयों में से 07-07 हजार हम दोनों ने आपस में बांट लिये थे, जिसमें से मेरे पास से 02 हजार खर्च हो गये हैं।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की कार,नगदी, मोबाइल एवं कूटरचित नम्बर प्लेट की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में तीनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाते हुये मुकदमें में धारा 411,414,419,427,468 भादवि के बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त रामकरन की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. अजीत कुमार उर्फ नंगू गोस्वामी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी जोरिया मजरा जगतापुर थाना कटरा जिला गोण्डा
2. आदर्श तिवारी पुत्र वेजम पत्र रामअचल तिवारी निवासी दिनउ का पुरवा मजरा पारस पट्टी थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर

बरामदगीः-

1. लूटी गयी मारुती स्विफ्ट डिजायर कार
2. लूट के 5000 रुपये नगद
3. 03 अदद मोबाइल फोन (अभियुक्तों के)
4. क्षति ग्रस्त जीपीएस सिस्टम
5. 02 अदद वाहन नम्बर प्लेट TS 24 TA 0322

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सिद्दनाथ राय थाना रैपुरा
2. आरक्षी अजीत यादव
3. आरक्षी नन्दलाल

(3). आज दिनांक 02.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(4). आज दिनाँक 02.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 03 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय तथा उनके हमराही आरक्षी सूर्यकान्त व आरक्षी आशीष कुमार द्वारा मु0अ0सं0 156/23 धारा 389/427/147/504/506 भादवि0 के नामजद /वाँछित 1. राजाराम उर्फ कलिवा पुत्र रामपाल 2. जयनारायण पुत्र शिवशरण निवासीगण ग्राम गंगू का पुरवा मजरा कौहारी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 3.अखिलेश पुत्र बच्ची लाल यादव निवासी बुद्धू का पुरवा मजरा कौहारी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनके हमराही आरक्षी सतीश यादव द्वारा मु0नं0 1385/2011 धारा 323/504 भादवि के वारण्टी अभियुक्त बच्चा यादव पुत्र लोटन यादव निवासी भैसोधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने मु0अ0स0 105/2023 धारा 307/336/504/506 भादवि0 में नामजद अभियुक्तगण 1.अवधेश तिवारी पुत्र रामकृपाल 2.कृष्ण औतार तिवारी पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम गडौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त 01 अदद दो नाली बन्दूक 12 बोर व 08 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त बंदूक व कारतूस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगीः-</u>

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद दो नाली बन्दूक 12 बोर
2. 08 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा
2. आरक्षी अतुल मिश्रा

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक चित्रकूट श्री संजय कुमार (v) द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2018 धारा 498A,304(b) भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त नीरज पटेल पुत्र लवलेश पटेल 2. लवलेश पटेल पुत्र प्यारेलाल 3. फूला देवी पत्नी लवलेश पटेल निवासीगण सेमरिया जगन्नाथवासी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 24.03.2018 को वादी श्री रामसनेही पटेल पुत्र भवानीदीन निवासी मैनहाई माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में तहरीर दी थी कि उनकी बहन सुमन को ससुराल पक्ष नीरज, लवलेश व फूला देवी उपरोक्त द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर फांकी के फंदे में लटका कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 198/2018 धारा 498A,304(b) भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम नीरज, लवलेश व फूला देवी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजयेन्द्र द्विवेदी द्वारा की गयी

थी एवं दिनांक 26.03.2018 को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व दिनाँक 03.06.2018 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). आज दिनाँक-02.09.2023 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील सभागार कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदया द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी कर्वी राजबहादुर, अपर उप जिला अधिकारी विवेक सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री हर्ष पांडे, जिला विकास अधिकारी श्री आरके त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ सुभाष चंद्र, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी श्री जतारिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री लव प्रकाश यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री कुमार अमरेंद्र, जिला कृषि अधिकारी श्री आरपी शुक्ला, खंड विकास अधिकारी कर्वी आस्था पांडे, अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक श्री तुलसी राम, अधिशासी अभियंता विद्युत श्री एस एन वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री एस के मिश्रा, तहसीलदार कर्वी श्री अमित कुमार, नायक तहसीलदार कर्वी श्री मंगल यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी एवं के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवबहादुर पटेल पुत्र राममनोहर पटेल निवासी ग्राम कटैया डांडी थाना बरगढ जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 विनय विक्रम सिंह थाना बरगढ़
2. आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा
3. आरक्षी अखिलेश चौहान